

वन विभाग, हरियाणा सरकार,
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,

सी-18, वन भवन, सेक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-10156/742

दिनांक: 04/07/2024

सेवा में

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन तथा वन्य प्राणी विभाग,
चण्डीगढ़ ।

विषय : Diversion of 0.1897 ha. of forest land construction of farm house to growing vegetables & Fruits Plants and for erecting shed to pet Cattles at Village Garidan Tehsil Kalka, under Forest Division Morni-Pinjore and District Panchkula, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Others/34868/2018

संदर्भ : भारत सरकार का पत्र क्रमांक 9-HRB081/2022-CHA दिनांक 15.02.2024 ।

उपरोक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र द्वारा जारी स्टेज-1 स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट मदवाईज निम्नप्रकार से आपको भेजी जाती है :-

1-5. प्रस्ताव में सी0ए0 स्कीम अनुसार प्रयोक्ता एजैन्सी ने प्रतिपूर्ति पौधारोपण, नैट प्रैजैन्ट वैल्यु आफ फौरेस्ट लैण्ड व अन्य चार्जिज सहित कुल 458259/- रुपये की राशि केम्पा के लेखा में जमा करवा दी है। ऑनलाईन पोर्टल अनुसार राशि का स्टेटस "Paid" होने उपरान्त प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा अपेक्षित ऑनलाईन कार्यवाही पूर्ण कर दी गई है ।

6. एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है ।

इसके अतिरिक्त स्टेज-1 2B की शर्तों से सम्बन्धित अण्डरटेकिंग ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है ।

कृपया उक्त अनुपालना रिपोर्ट भारत सरकार को भेज कर प्रस्ताव में स्टेज-1 स्वीकृति जारी करवाने का कष्ट करें ।

संलग्न/उपरोक्त ।

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(एफ0सी0ए0)
हरियाणा, पंचकुला ।

04/07/24
21/07/24
03/07/24

CFMS :- FRT04072024-3475

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 22-03-2024

Agency Name.	RAVINDER SINGH SON SH PHOOL SINGH
Application No.	19934868848
MoEF/SG File No.	9-HRB081-2022-CHA
Location.	HARAYANA
Address.	House No. 455 B-2, Bitna Road, Shiv Colony, PinjorePanchkula
Amount(in Rs)	458259/-

Amount in Words :Four Lakh Fifty-Eight Thousand Two
Hundred and Fifty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	HARAYANA CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506919934868848 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

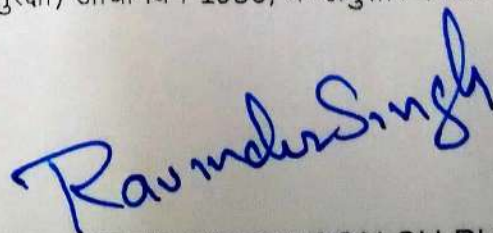
- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Undertaking regarding 2B Conditions of Stage-I approval

Sub: Diversion of 0.1897 ha. of forest land closed under section 4 & 5 for construction of Farm house to growing vegetables & fruits plants and for erecting shed to pet Cattles at village Garidan Tehsil Kalka under forest division Morin Pinjore and District Panchkula , Haryana. (Proposal No. FP/HR/Others/34868/2018)-reg.

प्रमाणित किया जाता है कि मैं रविन्द्र सिंह सुपुत्र श्री फूल सिंह मेरे उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा जारी स्टेज स्वीकृत दिनांक की निम्न शर्तों की कड़ाई से अनुपालना की जाएगी:-

- i. वनभूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- ii. काटे जाने वाले वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। वृक्षों/पौधों की कटाई
- iv. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
- v. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
- vii. इस प्रस्ताव को 45 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरान्त पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली Lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।
- viii. साथ लगते वन और वनभूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वनभूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
- ix. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वनभूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
- x. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव के लेआउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
- xi. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।
- xii. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय -
- xiii. समय पर लगाई जा सकती है।
- xiv. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।



RAVINDER SINGH SON SH PHOOL SINGH
House No. 455, B-2, Block, Bitna Road
Shiv Colony, Pinjore

COMPLIANCE OF SCHEDULED TRIBES AND OTHERS TRADITIONAL FOREST DWELLERS (RECOGNITION OF FOREST RIGHT) ACT 2006

(CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE CONCERNED DEPUTY COLLECTOR)
TITLE OF THE CASE/PROJECT:

Diversion of 0.1897 Ha. of forest land closed under section 4 & 5 of PLPA 1900 for construction of farm house to growing vegetables, fruit plants and erecting shed to pet cattles in Khasra no. 617/325/460/7 at village garidan, Tehsil Kalka, Distt. Panchkula.(FP/HR/others/34868/2018)

It is certified that the forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "forest" less than 75 year to the 13th day of December 2005 and is located in village having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census 2001 and the Census 2011.

Bhupender Singh Raghay, H.F.S.
Divisional Forest Officer
Morni Pinjore Forest Division
Pinjore (Panchkula)

Signature
Full Name and official seal of
Deputy Commissioner
District Commissioner,
Panchkula.